

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(1)(ख)के अन्तर्गत अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0, लखनऊ से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना।

बिन्दु संख्या-01 अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0, लखनऊ की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य:-

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0, लखनऊ पुलिस विभाग की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका मुख्य दायित्व निष्पक्ष एवं पारदर्शी जॉच/विवेचना किया जाना है। अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0का मुख्यालय विकल्प खण्ड-2 गोमतीनगर लखनऊ में स्थित है। इसका ई-मेल cfcid@up.nic.in एवं फैक्स नम्बर-0522-2729011 नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नम्बर-0522-2729014 है। अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0 के अन्तर्गत 09 खण्ड कार्यालय हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-

- 1- मेरठ
- 2- बरेली
- 3- लखनऊ
- 4- गोरखपुर
- 5- प्रयागराज
- 6- वाराणसी
- 7- आगरा
- 8- कानपुर
- 9- सीआईएस लखनऊ

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0 को सामान्यतया गम्भीर अपराधिक मामलों की जांच/विवेचना एवं विवेचनाओं का चेकअप अभिदिष्ट किया जाता है। उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त सभी जॉच/विवेचनाओं को मुख्यालय द्वारा सी0बी0संख्या आवंटित कर जॉच/विवेचना हेतु खण्ड कार्यालयों को भेजा जाता है एवं इसकी सूचना शासन को प्रेषित कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त एन0एच0आर0सी0 व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग उ0प्र0 से विवेचना/जॉच कराये जाने की अपेक्षा पर उ0प्र0शासन द्वारा जॉच विवेचना अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग उ0प्र0 को अभिदिष्ट की जाती है।

बिन्दु संख्या-2 विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्यः-

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0 के विभागाध्यक्ष पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी हैं तथा विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ क्रमवार निम्नवत् अधिकारीगण नियुक्त हैं:-

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक
- 2— पुलिस महानिरीक्षक
- 3— पुलिस उप महानिरीक्षक
- 4— पुलिस अधीक्षक
- 5— अपर पुलिस अधीक्षक
- 6— पुलिस उपाधीक्षक

इस सम्बन्ध में प्रशासनिक संगठन का चार्ट संलग्नक 01 पर उपलब्ध है।

(1) पुलिस महानिदेशक।

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के विभागाध्यक्ष पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी हैं। अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, उ0प्र0 में नियुक्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं इस विभाग के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न खण्डों में नियुक्त खण्डाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी एवं मुख्यालय/खण्ड में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है। अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 द्वारा सम्पादित की जा रही जाँच एवं विवेचनाओं के पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक,अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0 के अनुमोदन के उपरान्त अन्तिम प्रगति आख्या उ0प्र0शासन को प्रेषित की जाती है। इसके अतिरिक्त अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, मुख्यालय—लखनऊ पर स्थित अधिष्ठान शाखा/क्यू शाखा/गोपन शाखा/लाईब्रेरी/नियंत्रण कक्ष/नारकोटिक्स शाखा/खेलकूद एवं कल्याण/ओ0सी0आई0एस0/वन्य जीव प्रकोष्ठ/महिला सहायता प्रकोष्ठ द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण भी किया जाता है।

(2) अपर पुलिस महानिदेशक।

अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0 में नियुक्त पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक एवं सम्बन्धित खण्ड/मुख्यालय में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। इस विभाग में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारियों दिये गये दण्ड के

उपरान्त अपील अस्वीकार हो जाने के उपरान्त रिवीजन का निस्तारण अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। उ0प्र0 राज्य नारकोटिक्स सेल के नोडल अधिकारी अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ हैं। इसके अतिरिक्त अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, मुख्यालय—लखनऊ पर स्थित अधिष्ठान शाखा/क्यू शाखा/गोपन शाखा/लाईब्रेरी/नियंत्रण कक्ष/नारकोटिक्स शाखा/खेलकूद एवं कल्याण/ओ0सी0आई0एस0/वन्य जीव प्रकोष्ठ/महिला सहायता प्रकोष्ठ द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है।

(3) पुलिस महानिरीक्षक

पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 में नियुक्त पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक एवं सम्बन्धित खण्ड/मुख्यालय में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, मुख्यालय—लखनऊ पर स्थित अधिष्ठान शाखा/क्यू शाखा/गोपन शाखा/लाईब्रेरी/नियंत्रण कक्ष/नारकोटिक्स शाखा/खेलकूद एवं कल्याण/ओ0सी0आई0एस0/वन्य जीव प्रकोष्ठ/महिला सहायता प्रकोष्ठ द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है।

(4) पुलिस उप महानिरीक्षक।

पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 में नियुक्त पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक एवं सम्बन्धित खण्ड/मुख्यालय में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। इस विभाग में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारियों दिये गये दण्ड के उपरान्त अपील का निस्तारण पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी भी पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ हैं।

(5) पुलिस अधीक्षक।

पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 में एवं खण्डों में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। खण्ड कार्यालय द्वारा सम्पादित की जा रही जॉच/विवेचनाओं के पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है। सम्बन्धित खण्डों द्वारा सम्पादित की जा रही जॉच/विवेचनाओं में अन्तिम प्रगति आख्या सम्बन्धित अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान

विभाग, उ०प्र० को अनुमोदन हेतु भेजी जाती है। अनुमोदन के उपरान्त उ०प्र० शासन को प्रेषित की जाती है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा अधिष्ठान शाखा/क्यू शाखा/गोपन शाखा/ लाईब्रेरी/नियंत्रण कक्ष/नारकोटिक्स शाखा/खेलकूद एवं कल्याण/ओ०सी०आई०एस०/वन्य जीव प्रकोष्ठ/महिला सहायता प्रकोष्ठ द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है।

(6) अपर पुलिस अधीक्षक।

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० में अपर पुलिस अधीक्षक खण्ड कार्यालयों का प्रभारी अधिकारी होता है। इस विभाग के खण्ड कार्यालयों में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक/खण्डाधिकारी द्वारा सम्बन्धित खण्ड से की जा रही जॉच/विवेचना/चेकअप के पर्यवेक्षण का कार्य सम्पादित किया जाता है तथा खण्ड में नियुक्त पुलिस उपाधीक्षक/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन एवं अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण भी किया जाता है। अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग मुख्यालय पर नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा अधिष्ठान शाखा/क्यू शाखा/गोपन शाखा/ लाईब्रेरी/नियंत्रण कक्ष/नारकोटिक्स शाखा/खेलकूद एवं कल्याण/ओ०सी०आई०एस०/वन्य जीव प्रकोष्ठ/महिला सहायता प्रकोष्ठ द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है। इस विभाग में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का कार्य भी सम्पादित किया जाता है।

(6) पुलिस उपाधीक्षक।

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० में पुलिस उपाधीक्षक द्वारा एस०सी०/एस०टी० एकट तथा दहेज मृत्यु से सम्बन्धित अपराधों की जॉच/विवेचनाओं एवं अति-महत्वपूर्ण जॉच/विवेचनाओं को सम्पादित किया जाता है। इस विभाग में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध प्रचलित प्रारम्भिक जॉच का कार्य भी सम्पादित किया जाता

बिन्दु संख्या-३ विनिश्चित करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है:-

1— अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ०प्र० द्वारा सम्पादित किये जाने कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हेतु सी०बी०सी०आई०डी० मैनुअल उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विभाग के कार्यों के सम्पादन हेतु समय-समय पर यथावश्यक स्थायी आदेश निर्गत किये गये हैं। उ०प्र०शासन तथा मुख्यालय पुलिस महानिदेशक/ उ०प्र० पुलिस

मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन किया जाता है। द०प्र०सं०के प्रावधानों के अनुरूप विवेचना सम्पादित की जाती है।

2— अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग में प्रशासनिक नियन्त्रण/संचालन एवं कर्मियों में अनुशासन बनाये रखने हेतु उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की(दण्ड एवं अपील)नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

3— अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग मुख्यालय एवं अन्य खण्डों में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति,स्थानान्तरण एवं प्रोन्ति आदि का कार्य संगत नियमावली/संगत शासनादेशों/संगत विभागीय आदेशानुसार सम्पादित किये जाते हैं।

4— अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ०प्र० द्वारा विवेचना का कार्य निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक,अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। खण्डों में विवेचकों का पर्यवेक्षण अपर पुलिस अधीक्षक/खण्डाधिकारी द्वारा किया जाता है तथा अपर पुलिस अधीक्षक का पर्यवेक्षण अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग मुख्यालय पर नियुक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है।

बिन्दु संख्या-4 कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदण्ड

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ०प्र०, लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग के अधीन है। इस विभाग में मुख्यतः जॉच एवं विवेचना प्राप्त होने का स्त्रोत उ०प्र०शासन हैं।मा० उच्च न्यायालय तथा मा० रा०मा०अधिकार आयोग द्वारा सीबीसीआईडी को प्रकरण अभिदिष्ट किये जाने पर उ०प्र०शासन द्वारा जॉच/विवेचना अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग को जांच/विवेचना का आदेश निर्गत किया जाता है। अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ०प्र० द्वारा स्वतः कोई जॉच विवेचना ग्रहण नहीं की जाती है। विवेचना की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए अधिकारियों द्वारा नियमित पर्यवेक्षण व विवेचना का मार्गदर्शन किया जाता है। अन्तिम प्रगति आख्या पुलिस महानिदेशक,अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ०प्र० द्वारा अनुमोदन के उपरान्त शासन को प्रेषित की जाती है।

बिन्दु संख्या-05 विभाग के कर्मचारियों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले दायित्वों हेतु निर्धारित मानदण्ड

(1) निरीक्षक।

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ०प्र०, लखनऊ में नियुक्त निरीक्षकों द्वारा जॉच/विवेचना का कार्य सम्पादित किया जाता है। सभी निरीक्षकों को

जॉच/विवेचना को शासन द्वारा दी गयी समयावधि में पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। प्रत्येक निरीक्षक को वर्ष में कम से कम 04 जॉच/विवेचनाएं पूर्ण करने का मानक निर्धारित है।

(2) उप निरीक्षक।

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग में नियुक्त उप निरीक्षक का मुख्य कार्य जॉच/विवेचना में विवेचकों का सहयोग किया जाना है। मुख्यालय पर अन्य प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाता है।

(3) मुख्य आरक्षी।

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0, लखनऊ में नियुक्त मुख्य आरक्षीगण द्वारा खण्डों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित अभियोगों में प्रभावी पैरवी का कार्य सम्पादित किया जाता है तथा विवेचना में सहयोग प्रदान किया जाता है। मुख्यालय/खण्डों में नियुक्त मुख्य आरक्षीगण द्वारा उच्चाधिकारीगण द्वारा सौंपें गये कार्यों/आदेशों का अनुपालन किया जाता है।

(4) आरक्षी।

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में नियुक्त आरक्षीगण द्वारा द्वारा खण्डों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित अभियोगों में प्रभावी पैरवी का कार्य सम्पादित किया जाता हैतथा विवेचना में सहयोग प्रदान किया जाता है।मुख्यालय/खण्डों में नियुक्त मुख्य आरक्षीगण द्वारा उच्चाधिकारीगण द्वारा सौंपें गये कार्यों/आदेशों का अनुपालन किया जाता है।

(5) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0, लखनऊ में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाता है।

बिन्दु संख्या-06 ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं,प्रवर्गों का विवरण।

- 1— अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग उ0प्र0 का स्वयं का मैनुअल है जिसके आधार पर अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान में कार्यवाही की जाती है।
- 2— एन0जी0ओ0 पत्रावलियॉ(परम गोपनीय दस्तावेज)
- 3— अन्तिम प्रगति आख्या (गोपनीय दस्तावेज)
- 4— अन्य विभागीय निर्देश/आदेश यथा—प्रशिक्षण सम्बन्धी, प्रोन्नति, विभागीय कार्यवाही इत्यादि।

बिन्दु संख्या-07व 08

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र०, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन कार्य करता है।

बिन्दु संख्या-09 एवं 10—अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका एवं प्राप्त मासिक परिश्रमिक से सम्बन्धित विवरण।

अपेक्षित विवरण “बी” एवं “सी” संलग्न है।

बिन्दु संख्या-11, सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययकों किये गये संविवरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए आयोग के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

बजट व्यय से सम्बन्धित विवरण बेवसाइट www.koshvani.up.nic.in के उपशीर्षक-026-गृह(पुलिस) के अन्तर्गत उपलब्ध है।

बिन्दु संख्या-12, सहायकी कार्यकर्मों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यकर्मों के फायदाग्राहयों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

इस विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई कार्यक्रम संचालित नहीं किया जाता है।

बिन्दु संख्या-13 विभाग द्वारा अनुउत्तर रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियों।

इस विभाग पर लागू नहीं हैं।

बिन्दु संख्या-14 किसी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों:-

इस विभाग पर लागू नहीं हैं।

बिन्दु संख्या-15 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं, तो कार्यकरण घन्टे सम्मिलित हैं:-


अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, मुख्यालय स्तर पर आम नागरिकों के उपयोग के लिए पुस्तकालय अथवा वाचन कक्ष की व्यवस्था नहीं है।

बिन्दु संख्या-16 इस विभाग के सूचना अधिकारियों के नाम, पद नाम और अन्य विशिष्टियाँ।

| जन सूचना अधिकारी | नाम | पद नाम | दूरभाष नम्बर | |
|------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| | | | कार्यालय | सी0यू0जी0 |
| अपीलीय अधिकारी | श्री सतीश कुमार माथुर | अपर पुलिस महानिदेशक | 0522-2729009 | 9454400127 |
| जन सूचना अधिकारी | श्रीमती गीता सिंह | पुलिस अधीक्षक. | 0522-2729014 | 9454401135 |

बिन्दु संख्या-17, ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाये।

शून्य



संलग्नक—“बी”

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० में नियुक्त राजपत्रित अधिकारीगण की सूची

| क्र०सं 0 | अधिकारी का नाम | पद नाम/नियुक्ति स्थान | सी०य०जी० नं |
|-------------|---------------------------------|--|-------------|
| 1. | श्री विश्वजीत महापात्र | पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। | 9454400109 |
| 2. | श्री एस०के० माथुर | अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। | 9454400127 |
| 3. | श्री एल०वी०एन्टोनी देव कुमार | अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। | 9454400149 |
| 4. | श्री अशोक कुमार पाण्डेय | पुलिस उपमहानीरीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। | 9454400417 |
| 5. | श्रीमती गीता सिंह | पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। | 9454401135 |
| 6. | श्रीमती रवीना त्यागी | पुलिस अधीक्षक/खण्डाधिकारी, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड—कानपुर। | 9454401141 |
| 7. | श्री राहुल राज | पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। | 9454400319 |
| 8. | श्री जय प्रकाश | पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। | 9454400318 |
| 9. | श्री राजकमल यादव | पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। | 9454400220 |
| 10. | श्रीमती सुनीता सिंह | पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। | 9454401664 |
| 11. | श्री हृदेश कुमार | अपर पुलिस अधीक्षक(कोष), अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। | 9454457717 |
| 12. | श्री ओमप्रकाश पाण्डेय | अपर पुलिस अधीक्षक/खण्डाधिकारी, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड—प्रयागराज। | 9454401883 |
| 13. | श्री लल्लन प्रसाद | अपर पुलिस अधीक्षक/खण्डाधिकारी, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड—वाराणसी। | 9454401138 |
| | श्री अखिलेश्वर पाण्डेय | अपर पुलिस अधीक्षक/खण्डाधिकारी, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड—गोरखपुर। | 9454401140 |
| 14. | श्री घनश्याम | पुलिस अधीक्षक(अधि०), अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। | 9454401969 |
| 15. | श्री शम्भू शरण यादव | अपर पुलिस अधीक्षक/खण्डाधिकारी, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड—सीआईएस प्रथम, लखनऊ। | 9454401142 |
| 16. | श्री असीम चौधरी | अपर पुलिस अधीक्षक/खण्डाधिकारी, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड—आगरा। | 9454401134 |
| 17. | श्रीमती मोहिनी पाठक | अपर पुलिस अधीक्षक/खण्डाधिकारी, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड—मेरठ। | 9454401139 |
| 18. | श्रीमती प्रज्ञा मिश्रा | अपर पुलिस अधीक्षक/खण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड—बरेली। | 9454401136 |
| 19. | श्रीमती रजनी | पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड—मेरठ। | — |
| 20. | श्रीमती जया शाणिडल्य | पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड—वाराणसी। सम्बद्ध—अपराध शाखा, मुख्यालय—लखनऊ। | 9452670821 |
| 21. | श्री श्वेताम पाण्डेय | पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड—आगरा। | 9415362264 |
| 22. | श्रीमती रुक्मणि वर्मा | पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड—कानपुर। | 9454401668 |
| 23. | श्री कमर मजीद | पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, मुख्यालय—लखनऊ। | 9454401664 |
| 24. | श्रीमती सुनीता दहिया | पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड—बरेली। | 8859998222 |
| 25. | श्री शैलेन्द्र सिंह | पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड—लखनऊ। | 9454402504 |
| 26. | श्री शमशेर बहादुर सिंह | पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, मुख्यालय—लखनऊ। | 9454401906 |
| 27. | श्री कुलशेखर सिंह | अपर निदेशक अभियोजन, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, | 5454456417 |

| | | | |
|-----|-----------------------------|---|------------|
| | | मुख्यालय—लखनऊ। | |
| 28. | श्री रविन्द्र सिंह | ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, मुख्यालय—लखनऊ। | 9454456324 |
| 29. | श्री राजेश त्रिपाठी | ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, मुख्यालय—लखनऊ। | 9454456966 |
| 30. | श्री दिनेश त्रिपाठी | ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, मुख्यालय—लखनऊ। | 9454456754 |
| 31 | श्री संजय कुमार सिंह | अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, मुख्यालय—लखनऊ। | 9454455646 |
| 32 | श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी | ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड—लखनऊ। | 9454456226 |
| 33 | श्री शशांक मिश्रा | अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड—सीआईएसलखनऊ। | 9454456337 |
| 34 | श्री जय गोविन्द उपाध्याय | ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड—प्रयागराज। | 9454456712 |
| 35 | श्री प्रेम चन्द्र पटेल | ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, मुख्यालय—लखनऊ। सम्बद्ध खण्ड—प्रयागराज। | 8114031977 |
| 36 | श्री जय हिन्द | अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड—प्रयागराज। | 9454456841 |
| 37 | श्री राकेश चन्द्र पाण्डेय | ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, मुख्यालय—लखनऊ। सम्बद्ध—खण्ड—गोरखपुर। | 9454456828 |
| 38 | श्री नागेश कुमार दीक्षित | ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड—कानपुर। | 9454456218 |
| 39 | श्री अजय कान्त कन्नौजिया | अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड—कानपुर। | 9454456744 |
| 40 | श्री दिवाकर शर्मा | ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड—मेरठ। | 9454456609 |
| 41 | श्रीमती कविता रानी सिह | अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड—मेरठ। | 9454456437 |
| 42 | श्री संजय कुमार | अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड—मेरठ। | 9454456389 |
| 43 | श्री केशन लाल | ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड—आगरा। | 9454456762 |
| 44 | श्री रत्नाकर सिंह कटियार | अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड—आगरा। | 9454456722 |
| 45 | श्री विनोद कुमार सिंह | अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड—आगरा। | 9454456473 |
| 46 | श्री सुशील कुमार | ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड—वाराणसी। | 6454456605 |
| 47 | श्री राजेश कुमार सिंह | अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड—वाराणसी। | 9454456918 |
| 48 | श्री मृत्युंजय सिंह | अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड—वाराणसी। | 9454456476 |
| 49 | श्री सतीश राय | ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड—बरेली। | 9454456893 |

संलग्नक—“सी”

| क्र०स० | पदनाम | उपलब्धता | वेतनमान |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| 1 | पुलिस महानिदेशक | 01 | लेबल-16 |
| 2 | अपर पुलिस महानिदेशक, | 01 | लेबल-15 |
| 3 | पुलिस उप महानिरीक्षक | 01 | लेबल-13 ए |
| 4 | पुलिस अधीक्षक | 06 | लेबल-13 |
| 5 | अपर पुलिस अधीक्षक | 09 | लेबल-12 |
| 6 | पुलिस उपाधीक्षक | 08 | लेबल-10 |
| 7 | अपर निदेशक अभियोजन | 01 | लेबल-13 |
| 8 | सयुक्त निदेशक अभियोजन | — | लेबल-12 |
| 9 | ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी | 12 | लेबल-11 |
| 10 | अभियोजन अधिकारी | 10 | लेबल-10 |
| 11 | निरीक्षक | 89 | लेबल-08 |
| 12 | उप निरीक्षक | 30 | लेबल-07 |
| 13 | मुख्य आरक्षी | 170 | लेबल-04 |
| 14 | आरक्षी | 58 | लेबल-3 |
| 15 | चतुर्थ श्रेणी | 63 | लेबल-1 |
| लिपिकीय संवर्ग का विवरण | | | |
| 16 | निरीक्षक गोपनीय | 05 | लेबल-07 |
| 17 | उप निरीक्षक गोपनीय | 22 | लेबल-06 |
| 18 | निरीक्षक लिपिक/लेखा | 03 | लेबल-07 |
| 19 | उप निरीक्षक लिपिक/लेखा | 16 | लेबल-06 |
| 20 | पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक | 21 | लेबल-05 |
| 22 | मुनीम | 02 | लेबल-03 |
| परिवाहन शॉखा के कर्मियों का विवरण | | | |
| 21 | उप निरीक्षक मोटर परिवहन | 01 | लेबल-6 |
| 22 | मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन | 11 | लेबल-04 |
| 23 | आरक्षी चालक | 50 | लेबल-03 |